




AN ISO-9001:2015
& ISPS COMPLIANT PORT

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
COCHIN PORT TRUST
यातायात विभाग
TRAFFIC DEPARTMENT
Willingdon Island, Cochin - 682 009
Phone: +91 (484) 2582200
Fax: +91 (484) 2666418
e-mail: tm@cochinport.gov.in
www.cochinport.gov.in



संख्या:ए3/डॉक सेफ्टी/2021/टी

दि.06.09.2021

परिपत्र

विषय: डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 एवं विनियम-1990 का अनुपालन-वार्फ़ प्रविष्टि अनुमति पत्र जारी करने की आवश्यकता के संबंध में।

संदर्भ: व्यापार सूचना संख्या 09/2021, दि.11.05.2021

उपरोक्त संदर्भ के तहत व्यापार बिरादरी के सदस्यों का ध्यान व्यापार नोटिस की ओर आकर्षित किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, बंदरगाह के परिसर (डॉक/वार्फ़/शेड/सीएफएस आदि) के अंदर डॉक कार्य के लिए निजी कर्मचारियों की तैनाती/नियुक्ति करते समय डॉक वर्कर अधिनियम 1986 और विनियम, 1990 के अनुपालन और कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने की मांग करता है।

एचडब्ल्यूडब्ल्यूबी/स्टीवडोर्स/शोर हैंडलिंग एजेंटों/सीएचएस के साथ पंजीकृत सभी कर्मचारी और उनके द्वारा नियुक्त अन्य सेवा प्रदाताओं की चिकित्सकीय जांच की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, को सुनिश्चित करने के लिए 11.05.2021 से प्रभावी तीन महीने की अनुग्रह अवधि भी प्रदान की गई थी। यह समय सीमा 10.08.2021 को समाप्त हो गई है।

अनुपालन को सहज बनाने के लिए, संपूर्ण वार्फ़ प्रवेश परमिट प्रणाली को डिजिटल बना दिया गया है और इसे आपके कार्यालयों से ऑनलाइन लागू किया जा सकता है।

अतः सभी हितधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अब से उनके द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए वार्फ़ प्रवेश परमिट हेतु आवेदन करते समय, कृपया सुनिश्चित करें कि चिकित्सा जांच और प्रशिक्षण के संबंध में अनुपालन दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, किसी भी कामगार को पीपीई पहने बिना वार्फ़/परिचालन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जे.एस. मंजुताय 6/9/21

वरिष्ठ सहा.यातायात प्रबंधक(ई एण्ड ओ)

कृते यातायात प्रबंधक

सेवा में,

अध्यक्ष, केएचडब्ल्यूडब्ल्यूबी-विल्लिंगडन आईलैण्ड क्षेत्र
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के सभी लाइसेंस प्राप्त स्टीवडोर्स और शोर-हैंडलिंग एजेंट
अध्यक्ष, कोचिन कस्टम हाउस ब्रोकर्स एसोसिएशन
अध्यक्ष, कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन

प्रति:

सहायक कमांडेंट, सीआईएसएफ- एंट्री गेट पर सख्ती से लागू करने हेतु
सीएमई/सुरक्षा अधिकारी- सदय सूचनार्थ